रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 199] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 29, 1972/श्रावण 7, 1894

No. 199] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 29, 1972/SRAVANA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July 1972

G.S.R. 364(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President, with the consent of the Government of Himachal Pradesh, hereby entrusts the functions of the Central Government under the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) except the function exercisable by the Central Government under the proviso to sub-section (i) of section 55 of the said Act and the Land Acquisition (Companies) Rules 1963, in relation to the acquisition of land for the purposes of the Union in the State of Himachal Pradesh, subject to the following conditions, namely:—

(a) that in the exercise of such functions, the Government of Himachal Pradesh shall comply with such general or special directions as the Central Government may, from time to time issue; and

(b) that notwithstanding the entrustment, the Central Government may itself exercise any of the said functions should it deem fit to do so in any case.

[No. 3-16/72-Lands.]

B. B. VOHRA, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1972

सा० का० नि० 364 (अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड 1 द्वारा प्रदत्त तथा इस निमित्त उन्हें प्राधिकृत करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार की सम्मति से, एतद्द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) सिवाय उक्त अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य कृत्यों के तथा भूमि अर्जन (कम्पनी) नियम, 1963 के अधीन केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को जहां तक कि संघ के प्रयोजनार्थ हिमाचल प्रदेश राज्य में भूमि-अर्जन से इस का संबंध है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन सौंपती है, अर्थात् :—

(क) यह कि ऐसे कृत्य करते समय हिमाचल प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार के ऐसे विशेष और साधारण अनुदेशों का, जो वह समय समय पर जारी करे, पालन करेगी।

(ख) यह कि ऐसे सौंपे जाने पर भी केन्द्रीय सरकार को ऐसा करना अगर किसी मामले में उचित लगे तो वह स्वयं उक्त कृत्यों में से किसी का भी निर्वहन कर सकती है।

[संख्या 3-16/72-लैंडस]

बी० बी० वोहरा, संयुक्त सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1972